



रजि०न०एल०डब्लू/एल०पी०८९०
लाइसेंस न०डब्लूपी०-४१
लाइसेंस व पोस्ट एण्ड कन्सनल

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-४, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधस्तिवार, ७ जनवरी, १९९९

पौष १७, १९२० शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं संस्थागत वित्त, अनुभाग-५

संख्या क०सं०वि०-५-२३/११-९९-२१८(२१)-९७

लखनऊ, ६ जनवरी, १९९९

अधिसूचना

प०आ० ४०

साधारण खण्ड अधिनियम, १८९७ (अधिनियम संख्या १० सन् १८९७) की धारा २१ के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (अधिनियम संख्या १६ सन् १९०८) की धारा ५ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या एस०आर०-२४०३/११-९७-२१८(१६)-९७ दिनांक १२ अगस्त, १९९७ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, शब्द "महामाया नगर" और "छत्रपति साहू जी महाराज नगर" जहां कहीं भी आये हो, के स्थान पर क्रमशः शब्द "हाथरस" और "चित्रकूट" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
हरीशचन्द्र गुप्त,
प्रमुख सचिव।